सरकूलर नं0 अपमा / 2016–2018 / 258 दिनांक : 25–01–2018

''सीलिंग के विषय में''

आप सभी व्यापारी भाईयों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 24–1–2018 को चैम्बर ऑफ ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्री के कन्वीनर श्री ब्रिजेश गोयल जी के नतृत्व में दिल्ली की व्यापारिक संस्थाओं का एक प्रतिनिधिमण्डल ने ''सीलिंग के विषय में'' सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भूरेलाल जी, श्री राव जी सहित उनके सदस्यों से मुलाकात की। अपमा की तरफ से महासचिव श्री विष्णु भार्गव जी, सदर बाजार एसोसिऐशन क प्रधान श्री राकेश यादव जी, केमिकल एसोसिऐशन के प्रधान श्री प्रदीप गुप्ता जी, करोल बाग एसोसिऐशन के प्रधान श्री रमेश आहुजा जी एवं साकेत तेल एसोसियेशन के प्रधान श्री हेमन्त गुप्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी से मुलाकात की।

व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन श्री भूरेलाल जी से सीलिंग पर रोक लगाने की मांग की तथा उनको एक ज्ञापन पत्र भी दिया। व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल की ओर से मॉनिटरिंग कमेटी के सामने पमुख मांगें रखी गई।

- सीलिंग की कार्रवाई को 30 जून 2018 तक के लिए रोक दिया जाए।
- दुकान सील करने से पहले दुकानदार को एक दिन नोटिस देकर 30 दिन का समय दिया जाए जिससे वह अपना पक्ष भी रख सकें।
- कन्वर्जन चार्ज वन टाइम होना चाहिए और दर कम की जाए।
- एमसीडी ने पिछले सालों में कितना कन्वर्जन–पार्किंग चार्ज इक्टठा किया और उसको कहां–कहां खर्च किया उसका पूरा हिसाब मांगा जाए।
- वॉल–सिटी की जो मार्किट जैसे कश्मीरी गेट, चांदनी चौक इत्यादि जो विभिन्न मास्टर प्लान दिल्ली के अन्तर्गत बाजार घोषित थे उस पर कोई कन्वर्जन चार्ज न लगाया जाए न सीलिंग की कोई काईवाई की जाए।
- मास्टर प्लान के अनुसार चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, कश्मीरी गेट का रीडिवेलपमेंट होना था जिसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

साथियों, मॉनिटरिंग कमेटी ने व्यापारियों की बातों को बड़े ही धैर्यपूर्वक सुनी और इस विषय व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल से थोड़ा समय मांगा ताकि इस विषय पर व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल से इस विषय पर दुबारा मुलाकात की जा सकें।

(विष्णु भार्गव)
महासचिव